न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत—संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2022/367

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

—वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर**—प्रतिवादी**

दावाबाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावाअन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित—

1. श्री नेतराम सियाग वकील वादी
2. पैरोकार राज

—:निर्णयः—

दिनांक :— 11/01/2024

संक्षेपमें इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से कृषि भूमि मौजा रोही जैतपुर बी तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 3214/1450 तादादी 15 बीघा बारानी भूमि स्थित है। जिस पर वादी का कब्जाकाश्त है। वादगत भूमि वादी की पुरानी खरीदशुदा भूमि है। जिसमे वादी के पिता का नाम प्रतापराम जरिये बैनामा दर्ज किया गया। जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों मे रामप्रताप दर्ज है। वादी के पिता का वास्तविक नाम रामप्रताप है इसलिए प्रतापराम के स्थान पर रामप्रताप दर्ज करवाना चाहता है। वादी के पिता का नाम प्रतापराम है किन्तु सभी दस्तावेजों मे वादी के पिता का नाम रामप्रताप है यदि वादी के पिता का नाम प्रतापराम के स्थान पर रामप्रताप किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

नाम शुद्ध होने से वादी को न्याय मिलेगा व सरकारी सुविधा प्राप्त कर सकता है। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। दिनांक 28.07.2022 को वादी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम की दुरूस्ती की जावें। तहसीलदार महोदय द्वारा नाम शुद्ध नही करने बाबत स्पष्ट इन्कार करने पर वाद कारण हासिल हुआ। यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखस्मत है। अतः वकील वादी द्वारा घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से कृषि भूमि मौजा रोही जैतपुर बी तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 3214/1450 तादादी 15 बीघा बारानी भूमि स्थित है। जिसमे वादी के पिता का नाम प्रतापराम है जिसके स्थान पर रामप्रताप नाम की घोषणा करवाने का हकदार है जिसकी घोषणा हेतु निवेदन किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादी के पिता का वास्तविक नाम रामप्रताप हैं। वाद पत्र के समर्थन मे जमाबन्दी ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 1450/2 सम्वत् 2073–76, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 1501 तादादी 7.16 बीघा बारनी, चुनाव पहचान कार्ड प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रति, बैनामा प्रति, राशन कार्ड प्रति, अन्य सहखातेदार सुभाष पुत्र छगनलाल जाट निवासी जैरपुर शपथ पत्र आदि पत्रावली शामिल है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावाब हकवादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे उक्त भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी के पिता का नाम प्रतापराम को दुरूस्त कर रामप्रताप दुरूस्त फरमावें। अतः वादी वादगत भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम प्रतापराम के स्थान पर रामप्रताप घोषित करवाने का हकदार है। अन्य अनुतोष जो करने न्यायोचित हो वादी को दिलाया जावे। पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जाने की अनुशंषा की है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 1450/2 सम्वत् 2073–76, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 1501 तादादी 7.16 बीघा बारानी, चुनाव पहचान कार्ड प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रति, बैनामा प्रति, राशन कार्ड प्रति, अन्य सहखातेदार सुभाष पुत्र छगनलाल जाट निवासी जैरपुर शपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध वादी के पिता का नाम से जमाबन्दी ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 1450/2 सम्वत् 2073—76, जमाबन्दी संवत् 2073—2076 ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 1501 तादादी 7.16 बीघा बारानी, चुनाव पहचान कार्ड प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रति, बैनामा प्रति, राशन कार्ड प्रति, अन्य सहखातेदार सुभाष पुत्र छगनलाल जाट निवासी जैरपुर शपथ पत्र आदि के आधार पर स्पष्ट होता है कि रामप्रताप और प्रतापराम एक ही व्यक्ति है। लिपिकिय भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रतापराम चला आ रहा है। जिसकी दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी के पिता नाम रामप्रताप होने की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि रोही मौजा जैतपुर बी के ख.नं. 3214/1450 की तादादी 15.0 बीघा में वादी के पिता का नाम प्रतापराम के स्थान पर रामप्रताप दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन कियाजावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्डअधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

जगदीश बनाम स्टेट

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमानम्बर : 367/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी वकील नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जैतपुर बी के ख.नं. 3214/1450 की तादादी 15.0 बीघा में वादी के पिता का नाम प्रतापराम के स्थान पर रामप्रताप दुरूस्ती की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीससदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 11/01/24 को मेरे द्वारा डिक्री जारी की गई।

उपखण्डअधिकारी
लूनकरनसर